18/7/25 पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। TDR-नदबई द्वारा पत्रांक 643 दिनांक 30/6/25 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सोहनसिंह पुत्र बुद्धिराम के स्थान पर सौनी पुत्र बुद्धि दर्ज हो गया है। जो गलत है अतः इसे दुरुस्त किया जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नदबई द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। तहसीलदार नदबई द्वारा भी प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सौनी पुत्र बुद्धिराम के स्थान पर सोहनसिंह पुत्र बुद्धिराम जाति बाबाजी ~~कि~~ किये जाने की

उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:49 IST
Reason: Self Attested

मैं सौनी पुत्र बुद्धी जाति बाबाजी निवासी खवासपुर मनोहरपुर तहसी

सोहनसिंह

Scanned with OKEN Scanner

अभिभाषा की गई। एवं सोहनसिंह व सौनी दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया गया।

अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम जमाबंदी के खाता सं. 160 के खसरा नं. 263, 280, 59, 60 वाके ग्राम खवासपुर मनोहरपुर में सौनी पुत्र बुद्धिराम जाति बावाजी के स्थान पर सोहनसिंह पुत्र बुद्धिराम जाति बावाजी किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner